

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/225

दो-14-9/83 बैंच

जबलपुर, दिनांक 09/01/2023

श्री लोंदूराम कुशवाह, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) स्टेट भोपाल द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा सत्र-2023" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य मेंव्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

 09.01.2023
(रामकुमार चौधरी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/226

दो-14-9/83 बैंच

जबलपुर, दिनांक 09/01/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 2485 / स्था ग्वालियर, दिनांक 10.06.2022 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एस.पी.एस.ए (एस.ए), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय

// 2 //

की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,

4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री लोंदूराम कुशवाह, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

१०१-२३